रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 1970/भाद्र 25, 1892

No. 159] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 1970/BHADRA 25, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th September 1970

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970-March, 1971 (Amendment No. 33).*

No. 142-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April, 1970-March, 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70, dated 31st March, 1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)		Reference	Amendments
1	86	A. 129·8 Col. 5	The existing remark may be deleted.
2	126	B. 56·3 Col. 5	After remark 1, the following remark may be added :— "2: Import of Beach wood may be allowed against export of Bobbins and pirns."

N.B.—The above amendments willbe applicable in respect of exports made on or after the date of issue of this Public Notice.

3	147	C. 29·1 Col. 5	After the existing remark at (8), the following may be inserted :— "(9) Against exports of products covered under C. 29·1 1(B), import of the following may be allowed :— (*a*) Teflon shrink fit roll covers. (*b*) Plastomatrix moulding material-bakelite sheets. (*c*) Saran coated polyester film. (*d*) Teflon impregnated glass cloth."

3. Consequent to the second amendment referred to in para 2 above, the entry "Bobbins.....A. 129.8" appearing on page ix of the Index of the above Red Book may be deleted. A new item viz. "Bobbins and pirns.....B. 56.3" may be inserted alphabetically at the appropriate place under the Product Group "B. Chemical and Allied Products."

4. "Khadi products" are classifiable under the product Group "N. COTTON TEXTILES" and fall under Serial No. N. 5. This may be inserted alphabetically at the appropriate place in the Index of the above Red Book under the said product Group.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनायें

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1970

विषय :—अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 33)।

सं० 142-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति–पुस्तक (रैडबुक) के वालुम 2 में निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48–आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 31 मार्च, 1970 के अन्तर्गत जारी की गई थी।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट किए गए के अनुसार उपयुक्त स्थलों में किए जाएं :—

रैंडबुक (वाल्युम 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
1 86	ए.1298 कालम, 5	वर्तमान टिप्पणी को निकाल दिया जाए ।
2 126	बी. 56·3 कालम, 5	टिप्पणी 1 के बाद निम्नलिखित जोड़ी टिप्पणी जाए:— "2 बोबिन तथा पिन्स के निर्यात के विपरीत बीच वूड के आयात की स्वीकृति दी जाए ।

विशेष ध्यान दीजिए : उपर्युक्त संशोधन प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तिथि को अथवा उसके बाद में किए गए निर्यात के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

3	147	सी. 29.1 कालम, 5	(8) पर की वर्तमान टिप्पणी के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाए :— "(9) सी, 29.1 (बी) के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात के विपरीत निम्नलिखित आयात के लिए स्वीकृति दी जाए :— (क) टैफ्लान श्रृंक फिट रोल ढक्कन । (ख) प्लास्टोमेट्रिक्स मोल्डिंग सामग्री-बैंकलाइट शीटस । (ग) सरन कोट्रड पालिस्टर फिल्म । (घ) टैफ्लान इम्प्रगनेटेड ग्लास क्लाथ"

3. उपर्युक्त कांडिका 2 में उल्लिखित द्वितीय संशोधन के फलस्वरूप उपर्युक्त रैंडबुक के सूचक के पृष्ठ 9 में की गई प्रविष्टि "बोबिन · · · · · ए. 129. 8" को हटा दिया जाए । उत्पाद वर्ग रसायनिक तथा संबद्ध उत्पादों" उत्पादों के अन्तर्गत उपयुक्त स्थलों पर वर्णमाला के अनुसार एक नई मद "बोबिन तथा पिन्स · · · · बी. 56. 3" शामिल की जाए ।

4 "एन, सूती वस्त्र" के उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत "खादी उत्पादें" वर्गीकरणीय हैं और क्रम संख्या एन. 5 के अन्तर्गत आती हैं । इसे उक्त उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत, उपयुक्त रैंडबुक के सूचक में उपयुक्त स्थानों पर वर्णमाला के अनुसार शामिल किया जाए ।

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970-March, 1971 (Amendment No. 34).*

No. 143-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for the year April, 1970-March, 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70, dated 31st March, 1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book. (Vol. II)	Reference	Amendment
163	D. 2.1 Col. 5	The existing remark at (4) may be amended to read as follows :— "(4/ A manufacturer of the product mentioned in Col. 2 may, on request, be allowed to utilise his import licence under this policy, for import of the materials mentioned in Col. 4 against item D. 1·4 to the extent of not more than 50% of the value of the licence provided that the licensee is also a recognised manufacturer of products falling under item D. 1·4 The face value limits mentioned in Col. 4 against item D. 1·4 will, in such a case, be calculated with reference to the said 50%."
186	L. 2.2 Col. 5	The existing remark at (2) in Col. 5 may be amended to read as follows :— "(2) The ceiling price (vide General Note (1) for the products falling under this entry will be Rs. 65/- per Kg.; provided this rate will be increased to Rs. 93/- per Kg., for calculating the ceiling price of "screen printed terry wool fabrics, "but against the export of each kg., of such fabrics, import of items covered by (*a*) and (*b*) in Col. 4 shall be restricted to Rs. 50/- only." N.B.—This will be applicable in respect of exports of the concerned products made on or after 1st December 1969.

3. The following items are classifiable under the product groups mentioned below and fall under the serial numbers shown against each:—

A. *Engineering Goods.*

Calendar bowls	A. 129.8

B. *Chemical and Allied Products*

Porcelain Fuse Bases and Carriers	B. 41.4

4. The above items may be inserted alphabetically at the appropriate places in the index of the above Red Book under the relevent product groups.

5. The entry "Pilot cables 16 Crores (BSS. 480 of 1966)....A. 75.6" appearing on page xliv of the index of the above Red Book may be deleted.

विषय .—अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 34)

सं० 143-आई० टी० सी० (पी० एन०)70.—अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक) के वालुम 2 में निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48–आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 31 मार्च, 1970 के अन्तर्गत जारी की गई थी ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट किए गए के अनुसार उपयुक्त स्थलों में किए जाएं:—

रैड बुक (वालुम 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
163	डी० 2.1 ———— कालम 5	वर्तमान टिप्पणी (4) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— "(4) कालम 2 में निर्विष्ट उत्पाद के निर्माणकर्त्ता के अनुरोध करने पर, इस नीति के अन्तर्गत मद डी० 1.4 के लिये कालम 4 में उल्लिखित माल के आयात के लिए उसके आयात लाइसेंस का उपयोग करने के लिए लाइसेंस के मूल्य के 50 प्रतिशत मूल्य तक की सीमा से अधिक के लिए स्वीकृति नहीं दी जा सकती बशर्ते कि लाइसेंसधारी मद डी० 1.4 के अन्तर्गत उत्पाद का भी मान्यता प्राप्त निर्माणकर्त्ता है । इस प्रकार के मामले में, कालम 4 में मद डी० 1.4 के लिए अंकित मूल्य-सीमा का परिकलन उक्त 50 प्रतिशत के संदर्भ में किया जाएगा ।"
186	एल० 2.2 ———— कालम 5	कालम 5 में वर्तमान टिप्पणी (2) को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :— "प्रस्तुत प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के लिए उच्चतम सीमा मूल्य [देखिए सामान्य नोट (1)] 65 रुपया प्रति कि०ग्रा० होगा ; बशर्ते कि यह दर "स्क्रीन प्रिन्टेड टैरि वूल फैब्रिक्स" की उच्चतम सीमा मूल्य के परिकलन हेतु प्रति कि० ग्रा० 93 रुपये तक बढ़ा दी जायेगी, किन्तु इस प्रकार के फैब्रिक्स के निर्यात के प्रत्येक कि० ग्रा० के लिए

2	3
	कालम 4 में (ए) तथा (बी) के अन्तर्गत आने वाली मदों के आयात को 50 रुपये मात्र तक प्रतिबन्धित किया जायगा ।" **विशेष ध्यान दीजिए** :—यह 1 दिसम्बर, 1969 को अथवा उसके बाद किए गए निर्यात के संबद्ध उत्पादों के लिए लागू होगा ।

3. निम्नलिखित मदें, जो नीचे दिए गए उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत आती हैं वर्गीकरणीय हैं तथा उनके सामने बताई गई क्रम संख्या के अन्तर्गत आती हैं :—

ए. अभियन्त्रण माल :	
कैलेन्डर बाऊलस्	ए० 129.8
बी. रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद :.	
पोरसेलिन फ्यूजबेसिस तथा हैरियर्स	बी० 41.4

4. उपर्युक्त मदों को उपर्युक्त रैडबुक के सूचक में सम्बद्ध उत्पाद वर्ग के अन्तर्गत उपयुक्त स्थानों पर वर्णमाला के अनुसार रखा जाए :—

5. प्रविष्टि पाइलट के बिल्ज 16 करोड़ (बी० एस० एस० 480 आफ 1966)—1.75.6" जो उपर्युक्त रैडबुक के सूचक के पृष्ठ 44 में दिखाई गई है, उसे हटा दिया जाए ।

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters, 1970-71—Scheme for grant of 'On Account Licences'. (Amendment No. 35).*

No. 144-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book (Red Book) for April, 1970—March, 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70, dated 31st March, 1970.

2. In paragraphs 51 to 53 of Part B of Section I of the aforesaid Policy Book, provisions regarding grant of 'On Account' licences/Release Orders have been made. According to para 51, applications for grant of such licences/release orders are entertained from established Registered Manufacturer-Exporters having a minimum annual export performance of more than Rs. 10 lakhs (fob) during the year 1969-70 in respect of the six export products mentioned therein.

3. Representations have been received from the Trade to the effect that exports made through a sole selling agent may also be taken into account for determining the manufacturer's eligibility for an 'On Account' licence in terms of the aforesaid provisions.

4. These representations have been considered and it has been decided that, if a manufacturer's products are exported through a sole selling agent, such exports may be taken into account in determining the manufacturer's eligibility for an "On account licence", provided the following conditions are fulfilled:—

(i) that the entire exports of the manufacturer are routed through the sole selling agent;

(ii) that there is an irrevocable sole selling agency agreement between the manufacturer and the sole selling agent for the export of products manufactured by the former and the agency agreement is valid for a period of one year at least from the date of submission of the application for grant of an "on account" licence; and

(iii) that either it is a condition in the agency agreement or the sole selling agent gives an undertaking that he will nominate only that manufacturer whose products he is exporting for grant of import replenishment licences under the import policy for registered exporters.

5. A Manufacturer Exporter wishing to apply for the grant of an "On Account Licence/Release Order" in accordance with the above decision, should, in addition to the other prescribed documents, enclose with his application, the original copy of the sole selling agency agreement together with a photostat copy thereof as well as the undertaking referred to in para 2(ii) above. The original sole selling agency agreement will be returned to the applicant after the case has been finalised by the licensing authority.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय :—1970-71 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति—"लेखा पर लाइसेंस" जारी करने की योजना। (संशोधन सं० 35)

सं० 144-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—अप्रैल 1970 से मार्च 1971 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैड बुक) के वाल्युम 2 में निहित नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 31 मार्च, 1970 के अन्तर्गत जारी की गई थी।

2. उक्त नीति पुस्तक के खंड 1 भाग बी की 51 से 53 की कंडिकाओं में 'लेखा पर' लाइसेंस/बंटन आदेशों को प्रदान किए जाने के बारे में व्यवस्थाएं की गई हैं। कंडिका 51 के अनुसार इस प्रकार के लाइसेंस/बंटन आदेश प्रदान करने के लिए उन संस्थापित पंजीकृत निर्माणकर्त्ता निर्यातकों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है जिनका उस में उल्लिखित 6 निर्यात उत्पादों का 1969-70 के दौरान न्यूनतम वार्षिक निर्यात निष्पादन 10 लाख रूपये (जहाज तक निःशुल्क) से अधिक है।

3. इस विषय में व्यापारियों द्वारा अभिवेदन प्राप्त हुए हैं, कि उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार, 'लेखा पर' लाइसेंस के लिए निर्माणकर्ता की पात्रता का निश्चय करने के लिए एक मात्र विक्रय अभिकर्ता द्वारा किए गए निर्यात को भी ध्यान में रखा जाए।

4. इन अभिवेदनों पर विचार करके यह निश्चय किया गया है कि यदि निर्माणकर्त्ता के उत्पाद एकमात्र विक्रय अभिकर्ता द्वारा निर्यात किए जाते हैं, तो 'लेखा पर लाइसेंस' के लिए निर्माणकर्ता की पात्रता का निश्चय करते समय इस प्रकार के निर्यात को भी ध्यान में रखा जाए बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं :—

(1) कि निर्माणकर्त्ता का पूर्ण निर्यात एकमात्र विक्रय अभिकर्त्ता द्वारा किया जाता है;

(2) कि निर्माणकर्त्ता तथा एकमात्र विक्रय अभिकर्त्ता के बीच भूतपूर्व द्वारा निर्माण किए गए उत्पाद के निर्यात के लिए एक अपरिवर्तनीय एकमात्र विक्रय अभिकरण करार, है, तथा "लेखा पर" लाइसेंस जारी करने के आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर अभिकरण करार तक कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अभिकरण करार वैध है; तथा

(3) कि या तो अभिकरण करार में यह शर्त है, अथवा एकमात्र विक्रय अभिकर्त्ता यह वचन देता है कि वह केवल उस निर्माणकर्त्ता को नामित करेगा जिसका उत्पाद वह पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के अन्तर्गत, आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए निर्यात कर रहा है ।

5. उपर्युक्त निर्णय के अनुसार एक निर्माणकर्त्ता निर्यातक "लेखा पर लाइसेंसों/बंटन आदेश" के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे चाहिए कि अन्य निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त अपने आवेदन पत्र के साथ एकमात्र विक्रय अभिकरण करार की मूल प्रति तथा उसकी फोटोस्टैट प्रति और इस के साथ-साथ उपर्युक्त कंडिका 2(ii) में बताए गए वचन-पत्र संलग्न करे। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा मामले को अन्तिम रूप देने के पश्चात् मूल एकमात्र विक्रय अभिकरण करार आवेदक को लौटा दिया जाएगा ।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970